भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या †*421
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत भवनों के लिए स्वीकृति

*421.श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्राम पंचायत भवनों के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या मापदंड और दिशा-निर्देश अपनाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्रमशः जलगांव, फूलपुर, शहडोल और बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित कितने ग्राम पंचायत भवन/इमारतें स्वीकृत किए गए हैं तथा इन ग्राम पंचायत भवनों/इमारतों के निर्माण का कार्य पूरा होने की राज्यवार और जिलावार समय-सीमा क्या है;

(ग) फरवरी 2025 तक विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राजस्थान के आकांक्षी जिले सिरोही तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यवार और जिलावार कितने प्रतिशत ग्राम पंचायत कार्यालयों/भवनों/इमारतों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और उक्त अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालयों/भवनों/इमारतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) 'विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन' कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों सहित राज्यवार एवं जिलावार कितनी ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं तथा ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंचायती राज प्रतिनिधियों को किन मुख्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है तथा इससे ग्राम स्तर पर प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार सुधार हुआ है तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;

(च) इस पहल में पंचायती राज से जुड़े युवा साथियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही है तथा पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने में उनका क्या योगदान रहा है; और

(छ) डिजिटल पंचायत, ई-शासन तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई नई पहलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *421 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) स्थानीय सरकार होने के कारण 'पंचायत' राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का एक भाग है। इसलिए, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर आदि प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य का दायित्व है। हालांकि, मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने के लिए सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है ताकि ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं हेतु उनकी शासन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इस योजना के तहत, मंत्रालय पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए पंचायत भवन उपलब्ध कराकर ग्राम पंचायतों के कामकाज में सहायता करने की दिशा में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को भी पूरा करता है। इस योजना का स्वरूप मांग आधारित है और पंचायत भवनों की मंजूरी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में मांगे गए और प्रस्तुत किए गए तथा आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित किए गए पंचायत भवनों पर निर्भर करती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, योजना के तहत कुल 7,730 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें 4,429 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 3,301 अतिरिक्त पंचायत भवन उन ग्राम पंचायतों के लिए मंजूर किए गए हैं, जिनकी जनसंख्या 3,000 या उससे अधिक है लेकिन अभी तक पंचायत भवन नहीं है। इस पहल के तहत संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 500 पंचायत भवनों की सीमा तय की गई है।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों सहित वर्ष 2024-25 के दौरान आरजीएसए के तहत स्वीकृत पंचायत भवनों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों द्वारा जलगांव, फूलपुर, शहडोल और बालाघाट जिलों को आवंटित पंचायत भवनों के निर्माण का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस योजना के तहत 15492 कंप्यूटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने खुद के भवन वाली पंचायतों की कंप्यूटर की जरूरतों को पूरा करने की पहल भी की है और पंचायत के लिए 22164 अतिरिक्त कंप्यूटर स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 37,656 कंप्यूटर की खरीद की मंजूरी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2,68,974 ग्राम पंचायतों में से 2,13,366 ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर हैं अर्थात 79.3% पंचायतों के पास कंप्यूटर हैं। भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 145 ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर हैं, जबकि राजस्थान के सिरोही जिले में 170 ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर हैं।

(घ) और (ङ): सरकार की विशिष्ट पहलों, योजनाओं या परियोजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायती राज (पीआर) अधिकारियों को बड़े पैमाने पर संगठित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और संबंधित योजना, पहल या परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करना है। इन आयोजनों के माध्यम से, इसमें शामिल विशेषताओं, लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जमीनी स्तर पर समझ बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे भागीदारी और सूचित स्थानीय शासन को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न अवसरों पर आयोजित विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) 2 अक्टूबर, 2024 को विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी),
- सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी),
- केंद्रित योजना के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा लिया गया संकल्प, आदि।
- एक पेड़ माँ के नाम।

(ii) जनजातीय गौरव दिवस पर 15-26 नवंबर, 2024 के दौरान विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) और
- वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)।

(iii) स्वामित्व पर विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रम 18 जनवरी, 2025 को आयोजित किया गया।

(iv) 8 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, मंत्रालय आरजीएसए की संशोधित योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों जैसे बुनियादी प्रबोधन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, मंत्रालय द्वारा अनुभव दौरा (एक्सपोजर विजिट), प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के अंतर्गत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित और कैप्चर किए गए विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। सीधी और उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र में विशेष ग्राम सभा सह -प्रबोधन कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-IV** में संलग्न है।

(च) मंत्रालय की पहल के तहत देश भर में ग्राम पंचायतों के कुछ समूहों में युवा फेलो को शामिल किया जाता है। विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करते समय, यदि कोई चयनित ग्राम पंचायत किसी युवा फेलो को सौंपे गए समूह के अंतर्गत आता है, तो उस युवा फेलो को उस पंचायत की विशेष ग्राम सभा के लिए नोडल अधिकारी-सह-समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है।

इस क्षमता में, युवा फेलो एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक और समन्वयकारी भूमिका निभाते हैं। उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं:

i) ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम की समग्र योजना और कार्यान्वयन में सहायता करना।

ii) स्थानों की पहचान और प्रतिभागियों को संगठित करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का समन्वय करना।

iii) प्रबोधन (ओरिएंटेशन) के लिए आईईसी सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर और फ्लिप चार्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

iv) कार्यक्रम के आयोजन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों का सहयोग करना।

v) मंत्रालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम से संबंधित डेटा और रिपोर्ट अपलोड करना।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से, युवा फेलो प्रभावी सामुदायिक भागीदारी, ग्राम सभा का संरचित संचालन और चर्चाओं एवं परिणामों का सटीक दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने तथा भागीदारीपूर्ण ग्रामीण शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

(छ) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित योजना के मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाने, बेहतर सेवा प्रदायगी , पारदर्शिता, जवाबदेही और पंचायत शासन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सहायता मिली है। इसे ई-ग्रामस्वराज जैसी पहल के माध्यम से हासिल किया गया है, जिससे पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) ऑनलाइन तैयार करना और अपलोड किया जाना तथा सुव्यवस्थित वित्तीय लेनदेन और पारदर्शी खरीद के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण संभव हुआ है।

ई-ग्रामस्वराज विकास संबंधी गतिविधियों और वित्तीय व्यय को वास्तविक समय पर ट्रैक करने के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पंचायतों में किए गए कार्यों की निगरानी में अत्यधिक लाभकारी है। यह कार्य-आधारित लेखांकन को सरल बनाता है, सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकृत करता है, और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सहित परियोजनाओं की व्यापक निगरानी की अनुमति देता है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए एप्लिकेशन जैसे कि मेरी पंचायत ऐप, पंचायत की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी की पहुँच जनता तक प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, जिसमें विकास योजनाएँ, कार्यों की प्रगति, मौजूदा बैंक खाते और उपलब्ध धनराशि शामिल है। इससे जवाबदेही को मजबूत बनाने और स्थानीय शासन में सूचित नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता लाना और बेहतर प्रबंधन करना है।

पंचायतों के खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की निधि के उपयोग के पारदर्शी लेखापरीक्षण के लिए अप्रैल 2020 में ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत की गई थी।

***

अनुलग्नक -I

दिनांक 01/04/2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *421 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 में संशोधित आरजीएसए के तहत अनुमोदित ग्राम पंचायत भवन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्माण

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायत भवन का निर्माण (नए)	पंचायत भवन का निर्माण (कैरीओवर)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	617	0	617
2	अरुणाचल प्रदेश	261	400	661
3	असम	178	171	349
4	बिहार	0	136	136
5	छत्तीसगढ	0	210	210
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	412	0	412
8	हरियाणा	509	0	509
9	हिमाचल प्रदेश	33	86	119
10	जम्मू और कश्मीर	500	470	970
11	झारखंड	0	0	0
12	कर्नाटक	258	0	258
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	50	0	50
15	महाराष्ट्र	532	429	961
16	मणिपुर	16	11	27
17	मेघालय	0	24	24
18	मिजोरम	22	313	335
19	नागालैंड	49	134	183
20	ओडिशा	0	0	0
21	पंजाब	500	0	500
22	राजस्थान	0	10	10
23	सिक्किम	2	17	19
24	तमिलनाडु	146	0	146
25	तेलंगाना	181	105	286
26	त्रिपुरा	1	13	14
27	उत्तर प्रदेश	100	26	126
28	उत्तराखंड	612	72	684
29	पश्चिम बंगाल	82	35	117
	संघ राज्यक्षेत्र			
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0	0	0
31	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	4	0	4
32	लक्षद्वीप	0	0	0
33	लद्दाख	3	0	3
34	पुद्दुचेरी	0	0	0
कुल		**5068**	**2662**	**7730**

अनुलग्नक -II

दिनांक 01/04/2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *421 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

स्वीकृत पंचायत भवनों का विवरण		
क्रम सं.	**निर्वाचन क्षेत्र**	**2024-25 में स्वीकृत पंचायत भवन**
1	फूलपुर (प्रयागराज)	1
2	बालाघाट	40
3	शहडोल	12
4	जलगांव	4 (2023-24 में स्वीकृत)

अनुलग्नक - III

दिनांक 01/04/2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *421 के भाग (घ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

विशेष ग्राम सभा सह-प्रबोधन कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र सं.	राज्य `त्र क्ष ज्य्र ंघ स्र	2 अक्तूबर , 2024	15 26 , रंबवन 2024	18 जनवरी , 2025	8 मार्च , 2025
1	आंध्र प्रदेश	13	269	0	0
2	असम	5	328	0	26
3	अरुणाचल प्रदेश	19	7	0	0
4	अंडमान और निकोबार	0	0	0	2
5	बिहार	85	297	0	38
6	छत्तीसगढ़	86	4626	850	0
7	गोवा	1	14	0	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	26	0	3
9	गुजरात	16	2388	394	32
10	हरियाणा	1	0	0	13
11	हिमाचल प्रदेश	11	87	27	11
12	जम्मू और कश्मीर	0	215	174	20
13	झारखंड	103	0	0	0
14	कर्नाटक	10	364	0	31
15	केरल	2	40	0	14
16	लद्दाख	0	98	22	2
17	मध्य प्रदेश	71	6807	8143	47
18	महाराष्ट्र	49*	0	1054	32
19	मणिपुर	2	143	0	6
20	मेघालय	1	994	0	12
21	मिजोरम	1	332	4	10
22	नागालैंड	2	507	0	11
23	ओडिशा	69	2278	3	3
24	पंजाब	0	0	117	18
25	राजस्थान	28	2090	1000	28
26	तमिलनाडु	11	125	0	32
27	तेलंगाना	12	440	0	22
28	सिक्किम	22	5	0	0
29	त्रिपुरा	5	297	0	8
30	उत्तर प्रदेश	58*	554*	21626*	74
31	उत्तराखंड	10	109	0	10
32	पश्चिम बंगाल	4	572	0	20
कुल		**699**	**24012**	**33414**	**525**

* राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार.

अनुलग्नक - IV

दिनांक 01/04/2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *421 के भाग (घ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

सीधी और उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा सह-ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का विवरण

विशेष ग्राम सभा की तिथियाँ	**सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र**	**उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र**
2 अक्टूबर, 2024	2	0
15-26 नवंबर, 2024	442	334
18 जनवरी, 2025	130	27
8 मार्च, 2025	2	0
कुल योग	**576**	**361**